न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा
(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 19/2016 रिव्यू प्रार्थना पत्र

1. श्री नाथूलाल पिता छोगा कुमावत निवासी थला हाल मुकाम गाडरीखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा	बनाम	1. श्री भैरूलाल पिता गिरधारी कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
–निगराकार प्रार्थीगण		–गैर निगराकार विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम सपठित धारा 151 व 152 सिविल प्रकिया संहिता
निगरानी को खारिज करने के आदेश दिनांक 11.05.2016 का पुनर्विलोकन करने हेतु

उपस्थित :–
1. श्री बी.एल. बापना अधिवक्ता – निगराकार प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री गोपाल अजमेरा अधिवक्ता – गैर निगराकार विपक्षीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक 28.04.2017

प्रार्थी की ओर से यह रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम सपठित धारा 151 व 152 सिविल प्रकिया संहिता दिनांक 11.05.2016 के संबंध में प्रस्तुत की गयी है । प्रार्थना पत्र दिनांक 28.07.2016 को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगरानी प्रकरण सं. 10/2014 में दिनांक 11.5.2016 को पेशी वास्ते बहस अन्तिम हेतु नियत थी, जिस पर दोनों पक्षों के अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित हुए और गैर निगराकार के अभिभाषक ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 10 जा.दी. के तहत पेश कर निवेदन किया कि सिविल न्यायाधीश गंगापुर के यहां विचाराधीन प्रकरण सं. 17/2014 ई.दी. एवं 15/2014 मु.दी. के निर्णय तक इस निगरानी प्रकरण में कार्यवाही स्थगित फरमायी जावे । निगरानी खारिज करने का आदेश पत्रावली की आदेशिका को पूरा देखे बिना भूलवश हो गया हैं । यह आदेश तात्विक तथ्य व विधि की अज्ञानतावश हो गया है, जिसका पुनर्विलोकन कर अपास्त कराया जाना आवश्यक हैं, अन्यथा बार व बेन्च के मध्य न्यायिक प्रकिया के संबंध में जो विश्वास बना हुआ है, वह विश्वास डगमगा जायेगा या भंग हो जायेगा जिसके दूरगामी परिणाम होगें व आपस में अनावश्यक दूरी पैदा हो जायेगी । गैर निगराकार ने ग्राम पंचायत से जो विवादित पटटा मिलना बताया हैं उसके बारे में ग्राम पंचायत ने जवाब पेश कर बताया कि पंचायत ने ऐसा कोई पटटा जारी ही नहीं किया हैं और न ऐसी कोई पत्रावली पंचायत रिकार्ड में हैं । जिस क्षैत्रफल का पटटा होना गैर निगराकार बता रहा हैं उतनी जमीन 1144 वर्गगज यानि 10296 वर्गफीट जमीन मौके पर

है ही नहीं । इतना ही नहीं गैर निगराकार व निगराकार की भूमि को मिलाने पर भी इतनी जमीन मौके पर उपलब्ध नहीं है जो कि सिविल न्यायाधीश गंगापुर के न्यायालय द्वारा नियुक्त कमीश्नर की रिपोर्ट से साबित होती हैं। गैर निगराकार ने ऐसे फर्जी व अवैधानिक पटटे के आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद दायर कर रखा हैं । जब तक पटटे की वैधानिकता निगरानी न्यायालय द्वारा निर्णित नही कर दी जाती हैं तब तक फर्जी पटटे का न्यायिक कार्यवाही में दुरूपयोग होता रहेगा क्योंकि पटटे की वैधानिकता सिविल न्यायालय द्वारा निर्णित नही की जा सकती हैं । ऐसी परिस्थिति में भूलवश हुए उक्त निगरानी आदेश का पुनर्विलोकन करा उसे अपास्त कराया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना हैं कि निगरानी खारिज करने का जो उक्त फाइनल आदेश तथ्यात्मक भूलवश पारित कर दिया गया था उसका पुनर्विलोकन कराया जाकर उसे अपास्त कराया जावे और बाद में उक्त निगरानी सं. 10/2014 में दोनों पक्षों की बहस समायत फरमायी जाकर गुणावगुण पर विधि अनुसार अजसरे पुनः निर्णय पारित कराया जावे ।

प्रकरण दिनांक 28.07.2016 को पंजीबद्ध करते हुए विपक्षीगण को वजह जाहिर करने हेतु सम्मन जारी किये गये । सिगाह से पत्रावली तलब कर शामिल पत्रावली की गयी । विपक्षी भैरूलाल कुमावत की ओर से दिनांक 22.02.2017 को जवाब प्रस्तुत किया गया ।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में रिव्यू प्रार्थना पत्र के बिन्दु सं. 1 से लगायत 8 के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि निगरानी प्रकरण सं. 10/2014 में दिनांक 11.5.2016 को पेशी वास्ते बहस अन्तिम हेतु नियत थी जिस पर दोनों पक्षों के अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित हुए और गैर निगराकार के अभिभाषक ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 10 जा.दी. के तहत पेश कर निवेदन किया कि सिविल न्यायाधीश गंगापुर के यहां विचाराधीन प्रकरण सं. 17/2014 ई.दी. एवं 15/2014 मु.दी. के निर्णय तक इस निगरानी प्रकरण में कार्यवाही स्थगित फरमायी जावे । निगरानी खारिज करने का आदेश पत्रावली की आदेशिका को पूरा देखे बिना भूलवश हो गया हैं । यह आदेश तात्विक तथ्य व विधि की अज्ञानतावश हो गया है, जिसका पुनर्विलोकन कर अपास्त कराया जाना आवश्यक हैं । ऐसी परिस्थिति में भूलवश हुए उक्त निगरानी आदेश का पुनर्विलोकन करा उसे अपास्त कराया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना हैं कि निगरानी खारिज करने का जो उक्त फाइनल आदेश तथ्यात्मक भूलवश पारित कर दिया गया था उसका पुनर्विलोकन कराया जाकर उसे अपास्त कराया जावे और बाद में उक्त निगरानी सं. 10/2014 में दोनों पक्षों की बहस समायत फरमायी जाकर गुणावगुण पर विधि अनुसार अजसरे पुनः निर्णय पारित कराया जावे ।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी की ओर से न्यायालय के समक्ष धारा 10 जा.दी. के तहत प्रार्थना पत्र सिविल न्यायाधीश महोदय गंगापुर के यहां विचाराधीन प्रकरण सं. 17/2014 ई.दी. एवं 15/2014 मु.दी. के निर्णय तक निगरानी की कार्यवाही को स्थगित रखा जाने बाबत प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि विपक्षी द्वारा उक्त आशय का जवाब पत्रावली में पूर्व में ही पेश कर दिया हैं । इस कारण धारा 10 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर बहस नहीं सुन मूल निगरानी पर ही न्यायालय द्वारा बहस सुनी गयी तथा न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि पत्रावली में अन्तिम बहस सुन

ली हैं , इस कारण निर्णय बाद में पता कर लेना । पत्रावली में बहस अन्तिम हेतु कोई तारीख नियत नहीं की गयी । दिनांक 11.05.2016 को ही पत्रावली में अंतिम बहस सुने जाने के पश्चात् निर्णय पारित करते हुए निगराकार की निगरानी को खारिज कर दिया गया । निगराकार के अधिवक्ता को निर्णय की जानकारी काफी समय पूर्व से ही थी तथा न्यायालय द्वारा निर्णय , बहस सुनने के कुछ दिनों में ही सुना दिया गया था तथा उक्त आशय का अंकन फैसले बाबत् जो सूचियां बना रखी थी उसमें भी था तथा न्यायालय द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनकर के ही गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए अपने निर्णय में यह मत अभिव्यक्त किया कि उभयपक्षकारान के मध्य उक्त पटटेसुदा जायदाद बाबत् वादपत्र सिविल न्यायाधीश गंगापुर में प्रस्तुत किया हैं। जिसके प्रकरण सं. 17/2014 ई.दी. एवं 15/2014 मु.दी. है तथा उसमें पटटेसुदा जायदाद बाबत् स्थगन आदेश पारित किया हुआ है तथा उक्त वादपत्र उक्त निगरानी प्रस्तुत करने से पूर्व का हैं । इस कारण सिविल न्याायधीश गंगापुर में वाद विचाराधीन होने से एवं एक ही विषय वस्तु का प्रकरण लम्बित वाद में विचाराधीन होने से निगराकार निगरानी खारिज किये जाने योग्य हैं। इस प्रकार से पारित निर्णय पूरी तरह गुणावगुण पर तथा पक्षकारान के अभिवचनों के अनुरूप पारित किया हुआ निर्णय हैं । जिसमें किसी प्रकार तात्विक भूल एवं विधि की भूल नहीं है। न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर अभिवचनों के आधार पर निर्णय पारित किया हैं जो किसी प्रकार पुनर्विलोकन किये जाने योग्य नहीं हैं। पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का एक सीमित दायरा हैं । किसी प्रकार से विधि एवं तथ्यों की भूल हस्तगत निर्णय में प्रतीत नहीं होती हैं । इस प्रार्थना पत्र में जो आधार निगराकार ने वर्णित किये हैं, उन तथ्यों बाबत् निगराकार अन्यत्र कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र हैं । निगरानी में जो निर्णय पारित हुआ हैं वह किसी प्रकार भूलवश पारित निर्णय की परिधि में नहीं आता हैं । पारित निर्णय पक्षकारान के अभिवचनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों तथा विधि अनुरूप हैं जिसका पुनर्विलोकन किया जाना किसी प्रकार न्यायोचित नहीं हैं। निगराकार ने नितान्त असत्य व आधारहीन तथ्यों पर न्यायालय पर आक्षेप लगाते हुए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया हैं, जो खारिज होने योग्य हैं । अतः निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे । रिव्यू प्रार्थना पत्र के खण्डन में विधिक दृष्टान्त DNJ 2014(SC) P-40 प्रस्तुत हैं।

उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया । निगरानी प्रकरण सं. 10/2014 दिनांक 11.5.2016 बहस में नियत था । प्रकरण में उभयपक्ष की बहस दिनांक 11.5.2016 को सुनी जाकर प्रकरण को दिनांक 11.5.2016 को ही निर्णित कर दिया गया । इस निर्णय के पश्चात् विपक्षी की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 10 सी.पी.सी प्रस्तुत किया गया । प्रकरण का निर्णय हो जाने से विपक्षी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 10 सी.पी.सी पर कोई कार्यवाही नही की गयी। इस प्रकार न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की सुनवाई की जाकर ही प्रकरण का निस्तारण किया गया है। प्रकरण के निर्णय करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुयी हैं। प्रार्थी रिव्यू प्रार्थना पत्र में नये तथ्य प्रस्तुत कर निर्णय को परिवर्तित कराना चाहता है, जो धारा 97(3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सिद्ध नहीं होने से रिव्यू प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं हैं ।

रिव्यू (पुनरीक्षण) का अवसर विस्तार – ''यदि निर्णय अभिलेख के अवलोकन

से ही त्रुटि दृष्टिगोचर के दोष से पीड़ित है तो इसे पुनरीक्षण प्रक्रियाओं में ठीक किया जा सकता है , परन्तु यदि निर्णय त्रुटिपूर्ण है अथवा न्यायालय द्वारा किन्हीं दस्तावेजों, तथ्यों, साक्ष्यों या विधि के बारे में त्रुटिपूर्ण दृष्टि अपनाई गई है तो ऐसे मामलों को पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से ठीक नहीं किया जा सकता है । पुनरीक्षण याचिका किसी अपील या रिट पिटिशन का स्थान नहीं ले सकती है । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा श्रीमती मीरा भान्जा बनाम निर्मला कुमारी चौधरी ए.आई.आर. 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज 455 में पुनरीक्षण के बारे में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है– " Review error apparent on face of record , means an error which strike one or more looking at record and would not require any long drawn process of reasoning on points of where there may conceivably be two opinons."

उक्त निर्णय के प्रावधान इस प्रकरण में भी लागू होते हैं । अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी के रिव्यू प्रार्थना पत्र में पुनरीक्षण के कोई आधार नहीं होने से यह रिव्यू प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है । अतएव –

-: आदेश: -

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता निगरानी को खारिज करने के आदेश दिनांक 11.5.2016 के संबंध में उभयपक्षों की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अद्योपान्त अवलोकन करने एवं प्रकरण में प्रस्तुत विधिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत हुआ । इस न्यायालय के अपील प्रकरण सं. 10/2014 निर्णय दिनांक 11.05.2016 में कोई प्रथम दृष्टतया अशुद्वि नहीं पायी गयी एवं गणना में भी कोई त्रुटि नहीं रही हैं । प्रार्थी रिव्यू प्रार्थना पत्र में नये तथ्य प्रस्तुत कर निर्णय को परिवर्तित कराना चाहता है, जो धारा 97(3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सिद्ध नहीं होने से रिव्यू प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाता है एवं इस न्यायालय के अपील प्रकरण सं. 10/2014 निर्णय दिनांक 11.05.2016 को यथावत रखा जाता है । निर्णय आज दिनांक 28.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/4/17

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा